न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00206

मोहम्मद गालिब पुत्र श्री कालू खॉ जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर –5, मस्जिद के पास नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अली मोहम्मद पुत्र कल्लूखॉ जाति मुसलमान निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. हैदर अली पुत्री कालू खॉ जाति मुसलमान ।
3. इनायत अली पुत्री कालू खॉ जाति मुसलमान ।
4. असलम पुत्र कालू खॉ जाति मुसलमान ।
5. अकरम पुत्र कालू खॉ जाति मुसलमान ।,
6. अफसाना पुत्री कालू खॉ जाति मुसलमान ।
7. फरजाना पुत्र कालू खॉ जाति मुसलमान ।
8. रूकसाना पुत्री कालू खॉ जाति मुसलमान ।
9. चाहन्या बाई बेवा कालू खॉ जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. द स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील दिगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 3 व 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 91 एवे 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नौताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 06 किता की रकबा 6.35 हैक्टर भूमि स्थित है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता दोनों भाई हैं

जिनकी शामलाती आराजी स्थित है । यासीन जी के पुत्रों द्वारा अपना हिस्सा अलग से लिया गया है तथा रमजानी ने अपने हिस्सा न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.07.2011 में राजीनामा अनुसार ले लिया है । आराजी खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.48 हैक्टर आराजी वादी व प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज थी । उक्त भूमि में राजीनामा के अनुसार वादी ने अपना हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता के कहने पर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड भूमि में से रमजानी को निर्णय दिनांक 14.07.2011 को दे दिया । उक्त भूमि में अली मोहम्मद का हिस्सा था जो रमजानी को दे दिया ताकि मद संख्या 01 में वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी के पिता व पति द्वारा वादी को देने की बात हुई थी उसी समय न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.07.2011 के कुछ समय बाद प्रतिवादी के पिता की मृत्यु हो गयी इसलिए प्रतिवादी के नाम 1/2 हिस्से में दर्ज नहीं करवा सके । वादी व प्रतिवादीगण के पिता कालू खॉ का मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में 1/2 – 1/2 हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है तथा वादी के कब्जे के आधार पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं । सेटलमेंट से पूर्व वादी के भाई के खातेदारी में होने तथा वादी का नाम सेटलमेंट विभाग द्वारा दर्ज नहीं करने से वादी सेटलमेंट की गलती को दुरूस्त कराकर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । उक्त आराजी बाबत् दिनांक 07.01.1976 को वादी के पिता ने एक लिखावट कल्लूखॉ, वजीर खॉ ने लिखी थी जिसमें उन्होंने यह माना है कि उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा वादी को दे दिया है तब से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है वादी उक्त भूमि पर हक घोषणा का अधिकारी है । कालूखॉ की मृत्यु हो जाने से उसके कायममुकामान प्रतिवादी कम 1 से 7 उक्त लिखावट से बाध्य हैं । वादी एवं प्रतिवादी कम 1 से 7 के पिता प्रतिवादी कम 08 के पति के द्वारा दोनों की रजामन्दी से उक्त निर्णय दिनरांक 14.07.2011 की भूमि देने से वादी का प्रतिवोदीगण के पिता पति के हिस्से में लिखावट के अनुसार 1/2 हिस्सा लेने के अधिकारी हैं वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी में 1/2 – 1/2 हिस्सा अनुसार वादी का कब्जा काश्त होने एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर तथा सेटलमेंट की गलती से नाम दर्ज नहीं करने से वादी को खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादी का भी नाम दर्ज किया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.04.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक कालू खॉ अपीलान्ट का नैसर्गिक पिता है तथा इस कारण से अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 9 के साथ मुस्लिम विधि के अनुसार हिस्सा है तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाकर निर्णय व डिक्री प्राप्त की है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई निर्णय किसी वाद की

विषय वस्तु के महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाकर प्राप्त की जाती है तो वह निर्णय व डिक्री विधि की दृष्टि से शून्य होता है । यहॉ पर रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा जो वाद दायर किया तथा रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 9 द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया तथा अपीलान्ट के होने के तथ्य को बिल्कुल छुपा लिया इस कारण से निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण ने आपस में मिली भगत करके अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवा ली है । उक्त वाद में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए उन्हें उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी एक शादी समारोह में रिश्तेदारों द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.03.2018 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 21.03.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के पिता कालू खॉ का स्वर्गवास दिनांक 26.11.2011 को हो गया । प्रार्थी मृतक कालूखॉ का नैसर्गिक पुत्र है तथा अप्रार्थीगण द्वारा आपस में मिली भगत करके अधीनस्थ न्यायालय से उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवा ली है जिसकी कोई सूचना प्रार्थी अपीलान्ट को नहीं थी जबकि उक्त वाद में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार था जिसे पक्षकार नहीं बनाया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं और वो प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

9. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना हित–निहित होना कथन किया है तथा मृतक कालूखॉ का पुत्र होना बताया है । प्रस्तुत प्रकरण में उन्होंने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होने का कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी के साथ यह अपील पेश की है । वादग्रस्त आराजी के लिए रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 02 लगायत 10 के खिलाफ एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और पक्षकारों के द्वारा न्यायालय मे एक राजीनामा पेश कर दावा डिक्री करवा लिया परन्तु मृतक कालूखॉ अपीलान्ट का नैसर्गिक पिता है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का मुस्लिम विधि के अनुसार रेस्पोडेन्ट कम

2 लगायत 9 के साथ समान हक अधिकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 3 व 5 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में उनका 1/2 हिस्सा निहित है और अधीनस्थ न्याालय ने राजीनामे से उनके 1/2 हिस्से के बाबत् डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2017 बहाल रखा जावे ।

13. शेष रेस्पोडेन्टगण की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आया ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था जबकि अपीलान्ट के कथनानुसार वह मृतक कालू खॉ का पुत्र है और वह प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ शपथ पत्र में यह कथन किया है कि वो कालूखॉ का नैसर्गिक पुत्र है और उनके द्वारा ग्राम पंचायत नौताडा का प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट कालूखॉ की पहली पत्नी बेतूल बाई का पुत्र है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया था और वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 9 को पक्षकार बनाकर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया । वादग्रस्त आराजी पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार कालूखॉ मुतबन्ना आलमखॉ के नाम दर्ज है । अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि वो कालूखॉ का पुत्र है इस नाते वादग्रस्त आराजी में उसका हित–निहित है । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा